न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध **बैंक प्रकरण संख्या 16/2024**(GCMS : **2024/31**)

Union Bank of India, Home Land City First , Chak 4 ML Neewawali, Sriganganagar, Rajasthan -335001

बनाम

1. **Mrs. Sunita** W/o Mr. Mangi Lal Address Village 11 ZC, Head PO 12Z, Sriganganagar, Rajasthan
2. **Mr. Mangi Lal** S/o Mr. Vazir Chand Address Village 11 ZC, Head PO 12Z, Sriganganagar, Rajasthan

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18.03.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी के अधिवक्ता श्री संजय वर्मा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक/कम्पनी के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 28.02.2024 को प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक द्वारा **अप्रार्थीगण सुनिता एवं मांगी लाल** को ऋण सुविधा के रूप में कुल 5.50/– लाख रूपये (अखरे रूपये पांच लाख पच्चास हजार मात्र) का ऋण दिनांक 25.07.2019 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सुनिता की सम्पत्ति आवासीय प्लॉट सं. ए–33, रॉयल एन्कलेव, आवासीय कॉलोनी, (क्षेत्रफल 15 गुणा 40 फुट = 600 वर्गफुट) सक्वायर सं. 13, किला संख्या 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22 एवं 23, चक 4 जी बड़ी, ग्राम कालियां, श्रीगंगानगर को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पास बंधक रखा। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 29.05.2023 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी पर दिनांक 30.06.2023 को 3,90,278/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात् का ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:16:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

दिनांक 11.07.2023 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने के लिए जारी किया गया। उक्त धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थीगण को व्यक्तिशः तामिल करवाये गये है। **इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणीं द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी **सुनीता द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास दृष्टि बंधक** रखी गई सम्पत्ति आवासीय प्लॉट सं. ए–33, रॉयल एन्कलेव, आवासीय कॉलोनी, (क्षेत्रफल 15 गुणा 40 फुट = 600 वर्गफुट) सक्वायर सं. 13, किला संख्या 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22 एवं 23, चक 4 जी बड़ी, ग्राम कालियां, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने, प्रार्थी बैंक/कम्पनी के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने **अप्रार्थीगण सुनीता एवं मांगालाल को** 5.50/– लाख रूपये (अखरे रूपये पांच लाख पचास हजार मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 25.07.2019 को **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सुनीता ने अपनी सम्पत्ति आवासीय प्लॉट सं. ए–33, रॉयल एन्कलेव, आवासीय कॉलोनी, (क्षेत्रफल 15 गुणा 40 फुट = 600 वर्गफुट) सक्वायर सं. 13, किला संख्या 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22 एवं 23, चक 4 जी बड़ी, ग्राम कालियां, श्रीगंगानगर, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 29.05.2023 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया, बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा **13(2) के नोटिस दिनांक 11.07.2023** को जारी कर, अप्रार्थीगण को व्यक्तिशः तामील करवाई गई है। परिणामस्वरूप अप्रार्थीगण के हस्ताक्षरयुक्त धारा [illegible] के नोटिस पत्रावली में उपलब्ध है, **जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) का [illegible] प्राप्त हो गया है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:16:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण **और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।**

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी सुनीता की सम्पत्ति आवासीय प्लॉट सं. ए–33, रॉयल एन्कलेव, आवासीय कॉलोनी, (क्षेत्रफल 15 गुणा 40 फुट = 600 वर्गफुट) सक्वायर सं. 13, किला संख्या 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22 एवं 23, चक 4 जी बड़ी, ग्राम कालियां, श्रीगंगानगर, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 11.07.2023 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 11.07.2023 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अ**प्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 11.07.2023 को भिजवाये गये है, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के** परिणामस्वरूप **ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध नहीं है परन्तु अप्रार्थीगण के हस्ताक्षयुक्त धारा 13(2) के नोटिस पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस की तामील** होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस [illegible] कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की [illegible] सुनीता के द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पास बंधक रखी गई संपत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाया जाना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:16:48 IST
Reason: SelfAttested

Kr

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी सुनीता द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई सम्पत्ति आवासीय प्लॉट सं. ए–33, रॉयल एन्कलेव, आवासीय कॉलोनी, (क्षेत्रफल 15 गुणा 40 फुट = 600 वर्गफुट) सक्वायर सं. 13, किला संख्या 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22 एवं 23, चक 4 जी बड़ी, ग्राम कालियां, श्रीगंगानगर, **का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक/कम्पनी व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:16:48 IST
Reason: SelfAttested